'अप्प दीपो भव'

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि- 31 दिसंबर, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 3 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 दिसंबर, 2013

लोगों ने कहा 'परिसंघ का पुराना जमाना लौट आया

डॉ. उदित राज

यह सुनकर अच्छा लगा जब लोगों ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ अपने पुराने जमाने में लौट आया है। पुराने जमाने और वर्तमान में बड़ा फर्क है, उस समय ज्यादातर लोग स्वार्थ और भय के कारण आते थे क्योंकि पांच आरक्षण विरोधी आदेशों की तलवार कहीं लटकी तो कहीं चल रही थी। मुद्दे की भीड़ थी जिसे मिशन में हमने परिवर्तित किया। इस बार जंतर-मंतर पर इतनी भीड़ थी कि रास्ता रुक गया और यहां तक कि कनॉट प्लेस तक यातायात प्रभावित हुआ। खतरा इस बात का है कि जिस रफ्तार से नया नेतृत्व पैदा होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है।

देश के कोने-कोने से आए लोग सरकार पर दबाव बनाने आए थे लेकिन जिस तरीके से देश में राजनैतिक वातावरण बना है आसानी से काम कराना मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि दलित-आदिवासी संगठन और नेता न केवल स्वार्थ से ग्रसित हैं बल्कि अहंकारी और व्यक्तिवादी हैं। ये एकता में बाधक है। अब मन भी बहुत भर गया है कि मुद्दे की लड़ाई लड़कर मान-सम्मान अधिकार दिलाने से समाज इतना नहीं जुड़ता बल्कि हंगामा खड़ा करो और ब्राह्मणवाद पर बातूनी हमला बोलते जाओ, आम लोग उसे मिशन मानते हैं। साल भर से लोगों से कहता चला आ रहा हूं कि जो बसपा के हिमायती हैं वे मेरी और साथियों की मुलाकात सुश्री मायावती से करा दें ताकि हम उनसे जान सकें कि अधिकार एवं मान-सम्मान के संघर्ष के लिए क्यों नहीं पार्टी के लोगों के लिए वह निर्देश जारी करती। ऐसा इसलिए किया कि मनुवादी शक्तियों का विकल्प गलत दुष्प्रचार के कारण हमें नहीं बनने दिया। यदि बसपा का नेतृत्व पढ़े-लिखे लोगों से मिलना शुरू करे, उनकी बात सुने तो हम सब लोग मिलकर एक देशव्यापी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। पदोन्नति में आरक्षण के लिए आज मशक्कत करना पड़ रहा है और यह समस्या बसपा के सरकार के समय में ही पैदा हुई। अभी तक जो परिसंघ के आलोचक हैं, बसपा के समर्थक हैं उनमे से एक का भी जवाब नहीं आया कि सुश्री मायावती क्यों नहीं मिली। यह जान लेना चाहिए कि कांशीराम जी के आह्वान पर पढ़े-लिखे लोग घर से निकले थे और तभी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बसपा के गैरजनतांत्रिक प्रणाली के कारण जो कर्मचारी-अधिकारी समर्थक भी हैं वे भी घर से निकल नहीं रहे हैं। यदि यह हो जाए तो संसद में जो दो विधेयक लंबित हैं-पदोन्नति में आरक्षण और आरक्षण कानून बनाने का, अब तक पास हो गया होता। निजी क्षेत्र में आरक्षण की दिशा में भी कुछ आगे बढ़ गए होते।

वर्तमान में इतनी हास्यादपद एवं भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि जो मुद्दे की लड़ाई लड़े, समाज के लिए कुछ करे वह मिशन विरोधी करार कर दिया जा रहा है। हमें कभी बीजेपी का तो कभी कांग्रेस का एजेंट बता दिया जा रहा है तो कभी यह कहा जा रहा है कि सवर्णों से भीख मांग रहे हैं। हमें देने वाला होना चाहिए। इनसे पूछे कि जब तक देने वाले बनोगे तब तक क्या सारे अधिकार लूट लिए जाएं? एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि सत्ता प्राप्ति का इंतजार करो और बीच में कुछ भी नहीं। बहुत ही दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल और केवल परिसंघ की वजह से लोकपाल में आरक्षण हुआ, जो आभार और सराहना समाज से मिलनी थी वह हमें मिल नहीं रही है। ऐसे में मन व्यथित होता है कि इनके लिए लड़ने से क्या फायदा? सुश्री मायावती जी कुछ भी न करें तो भी अति उत्तम है। जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं वे जरा सोचें कि क्या बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि जब सत्ता मिलेगी तभी कुछ करेंगे, क्या उन्होंने मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ा? लोकपाल में आरक्षण इतनी बड़ी उपलब्धि तो भी बसपाई हमें मिशन विरोधी ही मान रहे हैं। यदि आरक्षण न होता तो बहुजनों के लिए यह जेलपाल होता।

इस बार हमने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को भी महा रैली में आमंत्रित किया था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री नितीन गडकरी ने हिस्सा लिया और हमारी मांगों पर अपनी सहमति व्यक्त की। कांग्रेस के श्री राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन उनके प्रतिनिधि एआईसीसी एससी/एसटी सेल के अध्यक्ष श्री के. राजू महा रैली में आए और हमारी मांगों के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। हमें इस बात का पूरा ज्ञान है कि यूपीए सरकार हमारी मांगों को लेकर पूर्ण रूप से अब तक विफल रही है।

रैली में इस बार कुछ सवर्ण उद्योगपति भी आमंत्रित किए गए थे जिसका नेतृत्व श्री लहिड़ी गुरु जी कर रहे हैं। एक बार हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि गुजराती, मारवाड़ी एवं सवर्ण समाज के उद्योगपति और तमाम अन्य क्षेत्रों जैसे-शिक्षा आदि में हमारी भागीदारी हो और उसके लिए वार्तालाप शुरू हो। सरकार यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए

शेष पृष्ठ 2 पर...

महा रैली के दौरान उमड़ी अपार भीड़ के बीच माननीय डॉ. उदित राज

निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए नसोसवायएफ का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

डी. हर्षवर्धन

नेशनल एससी,एसटी,ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) ने 16 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में आयोजित महा रैली में छात्रों-युवाओं ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया।

निजी क्षेत्र में आरक्षण दलित, आदिवासी छात्रों-युवाओं के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। देश में इस आरक्षण के बिना सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता। इस भावना को लेकर देश के कोने-कोने से नसोसवायएफ के छात्र-युवा 15 दिसंबर से ही दिल्ली में जुटने लगे थे। इस रैली में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, आंध्रप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ एवं अन्य राज्यों के हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया और यह माना कि सड़क पर लड़ाई के बिना निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना संभव नहीं है, अंततः सामाजिक न्याय के लिए सड़क की लड़ाई ही कारगर हो सकती है। छात्रों के मन में शिक्षा और शासन व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश को जंतर-मंतर पर नसोसवायएफ के युवा छात्रों ने नारों एवं भाषणों के जरिए व्यक्त किया।

डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में नसोसवायएफ का गठन 29 अप्रैल 2013 को नागपूर के दीक्षा भूमि पर हुआ। गठन करते समय नसोसवायएफ का उद्देश्य जातिविहीन समतामूलक समाज की स्थापना और सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए छात्रों को संगठित करना था। अपने शिक्षा, नौकरी और मानवीय अधिकार के लिए संघर्षकारी छात्रों का संगठन बनाना भी एक उद्देश्य है। बहुत ही कम वक्त में संगठन ने अपनी पहुंच को बढ़ाई है।

छात्रों ने इस रैली में नीले टी-शर्ट, झंडे, प्लेकार्ड लेकर दिल्ली के अंबेडकर भवन से जंतर-मंतर तक मार्च किया। इस दौरान दिल्ली की यातायात तीन घंटे तक बाधित रहा। रैली में छात्र 'निजी क्षेत्र में आरक्षण देना होगा', 'समान एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाना होगा', 'निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए अब रण नहीं, संघर्ष बड़ा भीषण होगा', 'जिंदाबाद-जिंदाबाद-नसोस वायएफ जिंदाबाद, उदित राज जिंदाबाद', 'जय-जय-जय भीम, फूले-शाहू-भगतसिंह' नारे लगाते हुए कनॉट प्लेस को जाम करते हुए जंतर-मंतर पर पहुंचे। एक तरफ हम सामाजिक भ्रष्टाचार और बहुजन लोकपाल की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ नसोसवायएफ के छात्रों और महाराष्ट्र राज्य के राज्य सचिव रवि सूर्यवंशी जी ने अन्ना हजारे के कार्यकर्ताओं को मंच खाली करने की चेतावनी दे दी। पहले से ही अन्ना हजारे के आंदोलन और मुद्दे के ऊपर गुस्साए छात्रों ने मंच हाथों में लेकर गिराने का प्रयास किया जिससे रैली में हो-हल्ला हो गया। डॉ. उदित राज जी ने छात्रों से शांत रहने की अपील की और और अन्ना हजारे के कार्यकर्ताओं को मंच हटाने की चेतावनी दी।

इस महा रैली में हिस्सा लिए हुए सभी क्रांतिकारी छात्र अपने

अधिकारों के लिए किसी भी हद तक आंदोलन चलाने का नारा दे रहे थे। छात्रों के बीच में से 'अभी तो यह अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है' नारा जंतर-मंतर पर गुंजायमान कर रही थी। नसोसवायएफ के राष्ट्रीय समन्वयक तथा छात्र नेता डी. हर्षवर्धन ने छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश का दलित-आदिवासी छात्र संघर्षमय जीवन जी रहा है। छात्र अपने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। नौकरी पाने के लिए हजारों सालों की लदवाई जातीय गुलामी के खिलाफ अपने गरीबी से जुझ रहे छात्रों का भविष्य निजीकरण के माध्यम से कुचला जा रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है, ऐसे में इन छात्रों का जीवन अधिक संघर्षमय होता जा रहा है। जातीय एवं आर्थिक गुलामी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इन्हें अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा।

डॉ. उदित राज जी इन बेबस छात्रों की लड़ाई वर्ष 2000 से ही लड़ रहे हैं, अब इस लड़ाई को अधिक संघर्षशील एवं तेज बनाने का जिम्मा नसोसवायएफ पर आया है। हम शिक्षा में बड़ा बदलाव चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था में समान व्यवस्था लाना चाहते हैं। दलित-आदिवासी छात्रों को दिए गए सभी संवैधानिक अधिकारों की हम मांग करते हैं। छात्रवृत्ति महंगाई निर्देशांक से देने और छात्रावास, समतावादी धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम की भी मांग सरकार से करते हैं।

डी. हर्षवर्धन परिसंघ के सभी कर्मचारियों-अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि नेशनल एससी,एसटी,ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद करें और जहां संगठन नहीं है वहां संगठन की शाखा बनाने के लिए हमें आमंत्रित करें। हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल हम दिल्ली में तूफान लेकर आएंगे और हम अपना अधिकार लेकर जाएंगे। इसी बीच डॉ. उदित राज जी ने परिसंघ के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से अपील किया कि नसोसवायएफ की हर संभव मदद करें।

इस रैली को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र के नितीन गायकवाड, रवि सुर्यवंशी, के. बालाजी राव, गणेश वाघमारे, भूषण गवली, नागेश सोनुले, मध्यप्रदेश के प्रताप सिंह अहिरवार, सुशील बरखाने, सत्येंद्र सागर, हेमंत उपाध्याय, देवेंद्र चौहान, राजस्थान के बमन बहादुर, आनंद कुमार, दिल्ली के योगेश, कृष्णा, जेएनयू के दिनेश अहिरवार, सत्येंद्र मुरली, डीयू के अजय राज और एक महीने से मेहनत कर रहे मुकेश अहिरवार एवं दलवीर जाटव ने अपना अहम योगदान दिया।

शेष पृष्ठ 1 का...

लोगों ने कहा 'परिसंघ का पुराना जमाना लौट आया

कानून नहीं बना रही है तो हो सकता है सवर्ण और दलित के वार्तालाप से हल निकले। कुछ उद्योगपति अनुसूचित जाति/जनजाति को रोजगार एवं अन्य व्यापारिक लाभ देने के लिए आगे आए हैं। समय बदल गया है और अब नए रणनीति के साथ हमें भी आंदोलन करना है। कुछ संगठन और लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखना, पढ़ना और बोलने को ही मिशन मानते हैं जिससे हम असहमत हैं। हमें यदि अमेरिका और पाकिस्तान से भी सहयोग लेकर के समाज का उद्धार करना हो तो हम करेंगे। सवर्ण यदि भागीदारी देने में आगे आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। सवर्ण भी अब समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनका राज खत्म होने वाला है जिससे उनका खात्मा हो जाएगा। उनका खात्मा हो जाए या कमजोर हो जाएं वह एक बात है लेकिन हम भागीदारी लेने का प्रयास न करें तो इससे बड़ी मुर्खता क्या होगी ?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इसके नेता अरविंद केजरीवाल आरक्षण विरोधी मंच पर सक्रिय रहे। जिस 18 सूत्रीय मांग पर सरकार चला रहे हैं उसमें आरक्षण का जिक्र भी नहीं है। इनकी जीत मीडिया की जीत है। मीडिया यदि हमें इसका आधा भी समर्थन दे तो इससे भी बड़ा काम कर दिखाएंगे। यदि अब हम बदलें नहीं तो हमारा मरना तय है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और दिल्ली में चुनाव हुए और कहीं भी हमारे अधिकारों की चर्चा नहीं हुई। दिन-दो दिन भी नहीं सप्ताह तक मीडिया को देखते रहे तो भी हमारे समाज का कोई जिक्र नहीं होता। यह हिटलर के फासीवाद के समान है जहां से बहुजन समाज को निकाला कर दिया गया है। हे बहुजनों, संभल जाओ। अब मीडिया कंप्यूटर एवं मोबाइल पर पैदा हो रही है। खरीदो कंप्यूटर, लगाओ इंटरनेट और शुरु कर दो वेबसाइट, फेसबुक, एसएमएस, यू-ट्यूब और करो मनुवादी मीडिया से मुकाबला। सुश्री मायावती जी अब तो समझ लें कि जहां दिल्ली में उनकी पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव में 14 प्रतिशत से ज्यादा वोट लिया था, आज वह 5 प्रतिशत में सिमट गई। जब तक कांशीराम जी थे तभी तक पार्टी का विस्तार हुआ। अब चारों तरफ गिरावट ही गिरावट दिख रही है। आप पार्टी को बसपा नहीं रोक पाई तो क्या समाज को नया नेतृत्व खड़ा करने का नहीं सोचना चाहिए ?उत्तर प्रदेश में बसपा की मजबूती का कारण जाति समीकरण है न कि सक्षम नेतृत्व। सक्षम नेतृत्व होता तो दलित आंदोलन उत्तर प्रदेश के बाहर भी फैलता।

रैली में सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ की सराहनीय भूमिका रही

मंजू सिंह

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के सहयोगी सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के आवाहन पर हजारों की संख्या में पूरे देश से सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर गत् 16 दिसंबर को जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए। सफाई कामगार संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार ने केन्द्र सरकार को सफाई कामगारों की समस्याओं से अपने वक्तव्य के द्वारा अवगत कराया। जब से छठां वेतन आयोग लागू हुआ है, तब से इस पेशे में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। इससे सफाई कामगारों का जीवन बद से बदतर होता चला गया और ठेकेदार मनमाने ढंग से इनका आर्थिक एवं मानसिक शोषण करने पर लगे हुए हैं। इसलिए सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा का खत्मा अत्यावश्यक हो गया है। जो रोजमर्रे का काम है, उनको ठेकेदारी प्रथा में नहीं दिया जा सकता। ऐसा देश का कानून भी कहता है, तो सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों ? इसके अलावा एमसीडी में एवजीदारी प्रथा, 20-20 सालों तक अनियमित कर्मचारी के रूप में काम कराना बहुत ही अमानवीय है। इसलिए एवजीदारी प्रथा खत्म करके दैनिक वेतनभोगी के रूप में भर्ती शुरु की जाए। श्री विनोद कुमार ने आगे कहा कि सफाई कामगारों को समय से मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए इनको मेडिकल कैसलेस कार्ड की सुविधा तुरंत उपलब्ध करायी जाए। सफाई कर्मचारियों की भी समयबद्ध पदोन्नति होनी चाहिए।

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रेमनाथ धींगड़ा ने भी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को बड़े ही जोर-शोर से उठाया और कहा कि केन्द्र सरकार को अविलंब सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा बंद करनी चाहिए।

राजकुमार बाल्मीकि, विजय रावत, सीताराम बाल्मीकि, आदि ने भी सैकड़ों साथियों के साथ रैली में भाग लिया।

इसके अलावा स्वतंत्र मजदूर संयुक्त मोर्चा एवं एम.सी.डी. कामगार संयुक्त मोर्चा के नेताओं जैसे- बाल किशन महार, अशोक अनजाना, राजपाल महरोलिया, संतलाल चावरियां, चेतन दास चावरियां, आर.बी. ऊंटवाल, संजय गहलोत, कौशिक गहलोत, रामराज, अमर सिंह अमर, कामरेड जिले सिंह, सुनील गागड़ा, कमल सौदा, जोगेन्द्र, मीनाक्षी सक्सेना, दिनेश चौटाला, संजय बाल्मीकि, नीरज बागड़ी, सुखवीर सिंह, चन्द्रपाल उज्जैनवाल, के. सी. आर्या, के. पी. वैद्य, अजय छजलाना, एफ. सी. कजानिया, जीतेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह राठी, अजय राज, प्रेम सागर, चंदन सिंह चावड़िया, भजन सिंह, प्रकाश चंद्रा, राम लखन पासी, दलीप गहलोत, त्रिपाल, मदन लाल राजौरिया, बाल किशन बाली, राजेश धिगान, आनंद स्वरूप, विनोद सिवाल, राजवीर रीडला, आदि ने हजारों की संख्या में रैली में भाग लिया और सभा को संबोधित भी किया। इस रैली को सफल बनाने में परमेंद्र, बाबूलाल एवं मंजू सिंह का विशेष योगदान रहा।

16 दिसंबर को महा रैली के उपरांत प्रधानमंत्री एवं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को मांग -पत्र सौंपा गया। मांग-पत्र ज्यों का त्यों नीचे छापा जा रहा है।

मांग–पत्र

16 दिसंबर, 2013

डॉ0 मनमोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार
नई दिल्ली।

महोदय,

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से आज जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर विशाल रैली आयोजित की गयी, जिसमें देश के कोने-कोने से दलित, आदिवासी एवं आरक्षण समर्थक शामिल हुए।

सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं व राजनीति में आरक्षण से ही दलितों व आदिवासियों की प्रगति हो सकी और अन्य क्षेत्र जैसे – व्यापार, उद्योग, कला एवं संस्कृति, भूमि, वित्त, शेयर, आयात-निर्यात एवं मीडिया आदि में अभी भी इनकी भागीदारी शून्य के बराबर है। विधायिका चाहे संसद हो या विधान सभाएं जो कानून इनकी भागीदारी, जैसे आरक्षण आदि के लिए बनाते हैं, उसे उच्च न्यायपालिका छीनने का प्रयास करती है। 85वां संवैधानिक संशोधन इसलिए किया गया था कि अनुसूचित जाति/जन जाति कर्मचारियों को वरिष्ठता एवं परिणामी लाभ मिल सके। इस संवैधानिक संशोधन को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी और उसके बाद इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष हुई और यह फैसला, 2006 में नागराज के नाम से आया। इंदिरा साहनी (मण्डल जजमेंट) जो 9 न्यायाधीशों की पीठ का फैसला था, उसके विपरीत नागराज का फैसला आया, जबकि बड़ी पीठ का फैसला छोटी पीठ नहीं बदल सकती। नागराज में कहा कि प्रत्येक नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/जन जाति के पिछड़ेपन की जांच हो, प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो और प्रशासनिक क्षमता को प्रभावित न करे, तब वरिष्ठता एवं परिणामी लाभ दिया जाए। मंडल जजमेंट में साफ कहा गया था कि अनुसूचित जाति/जन जाति का शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ापन जाहिर है इसलिए उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही संविधान की धारा 341 में कोई जाति और 342 में जन जाति शामिल की जाती हैं, वे पिछड़ेपन के परीक्षण को पास कर जाती हैं। क्या संविधान और संसद द्वारा इनका पिछड़ापन स्थापित करना पर्याप्त नहीं है ?नागराज की दूसरी शर्त के अनुसार, यह जांच की जाए कि इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। यह भी शर्त गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार के 149 सचिवों में से एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। जब से आरक्षण लागू है, तब से 15 प्रतिशत के मुकाबले में 11 प्रतिशत ही अनुसूचित जाति के पद भरे गए हैं और 7.5 प्रतिशत के स्थान पर केवल 4.65 प्रतिशत जन जाति के। जब आरक्षण पूरा ही नहीं हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गलत शर्त क्यों लगायी ?भारत सरकार में अतिरिक्त एवं कनिष्क सचिव के पद पर भी इनकी भागीदारी नगण्य है, अर्थात् जहां पर फैसले लेने की जगह है, वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी एक विभाग का आंकड़ा बहस के समय पेश कर दिया गया हो कि इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है, जबकि वह सच्चाई नहीं है। जहां तक दक्षता की बात है, अभी तक यह नहीं साबित हो पाया है कि आरक्षण से प्रशासन पर प्रभाव पड़ा हो। तमिलनाडु में आरक्षण 69 प्रतिशत तक है, लेकिन वहां पर प्रशासन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि शिक्षा, आई.टी. प्रशासन एवं स्वास्थ्य के मामलों में और राज्यों से आगे है। 77वां, 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन न केवल पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ करते हैं, बल्कि वरिष्ठता एवं परिणामी लाभ का भी। पिछले शीलकालीन संसद-सत्र में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सभा में विधेयक पारित हो गया था लेकिन लोक सभा में नहीं हो सका। यूपीए सरकार ने 2004 में राज्य सभा में आरक्षण कानून बनाने के लिए बिल पेश किया। 2009 में राज्य सभा से पास भी हुआ, लेकिन उसमें तमाम खामियां दिखीं और अंत में सरकार ने इस आश्वासन के साथ वापिस ले लिया कि उसे दुरुस्त करके फिर से संसद में पास करवाया जाएगा। ज्ञात रहे कि उस समय विधेयक में यह प्रावधान भी नहीं था कि जो अधिकारी एवं नेता आरक्षण का उल्लंघन करेंगें, उनको दंडित किया जाएगा। कोई भी कानून बने और उसमें कम से कम जब तक दंड देने का प्रावधान न हो तो उसकी कोई सार्थकता नहीं रहती। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस सत्र में इन दोनो विधेयकों को पास करे।

अगस्त-सितंबर 2011 में जब संसद में लोकपाल बनाने की चर्चा चल रही थी तो हमने भी बहुजन लोक पाल बिल पेश किया था। दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की लोकपाल में आरक्षण की मांग संसद में विचार कर ली गयी थी और जब अब यह बनने जा रहा है तो सुनिश्चित किया जाए कि इससे संसद पीछे न हटे। जन लोकपाल बिल में केवल सरकारी भ्रष्टाचार की बात की गयी है, जबकि सिविल सोसाइटी की संस्थाएं जैसे – एनजीओ, मीडिया एवं उद्योग जगत भ्रष्टाचार के लिए बराबर जिम्मेदार हैं। जो आम आदमी पार्टी जन लोकपाल लागू करने की बात कर रही है, उसने सिविल सोसाइटी को क्यों बख्शा। हम अनुरोध करते हैं कि एन.जी.ओ., मीडिया एवं उद्योग जगत को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाए।

सरकारी विभागों में आरक्षण लगभग समाप्त हो रहा है और जिन विभागों में काम बढ़ रहा है, उसको आउटसोर्स कर दिया जा रहा है, जिससे धन-सम्पत्ति एवं नौकरी दोनों व्यापारियों की जेब में जा रहा है। अब ज्यादा नौकरियां निजी क्षेत्र में पैदा हो रही हैं, जिसमें दलितों व आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। गांधीजी भी चाहते थे कि सम्पत्ति ट्रस्टीशिप के तहत हो और डॉ0 अम्बेडकर भी इसके राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे, लेकिन अब इसको हासिल करने के लिए पागलपन का दौर चल रहा है। भारत के बड़े औद्योगिक घराने मूलतः सरकारी संरक्षण में बढ़े हैं। अमेरिका एवं यूरोप में निजी क्षेत्र में न केवल तमाम तकनीकी अविष्कार किए हैं, बल्कि शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान में भी उनका बड़ा योगदान है। जो वस्तुएं उन्होंने बेचीं उससे उपभोक्ताओं को हमारे यहां से कहीं ज्यादा लाभ मिला है। अमेरिका में आरक्षण देने के लिए कोई कठोर नीति नहीं है, बल्कि शासनादेश है, फिर भी वहां के बड़े औद्योगिक घराने अश्वेत, हिस्पेनिक्स एवं मूलनिवासियों को न केवल नौकरी में बल्कि व्यापार में भी साझेदार बनाते हैं। जब भी वर्ष में लाभांश घोषित करते हैं, तो बड़े गर्व के साथ इन वर्गों की भागीदारी का भी खुलासा करते हैं, जबकि भारतीय उद्योगजगत कभी ऐसा नहीं किया और न करने का इरादा ही रखता है। 2004 में भारत सरकार ने मंत्रियों की एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी संस्तुति दी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 2006 में एक कॉर्डिनेशन कमेटी बनी ताकि उद्योगपतियों के संगठन जैसे- सी.आई. आई, फिक्की एवं एसोचेम आदि से बातचीत करके आदिवासियों एवं दलितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 2008 में वाणिज्य मंत्रालय ने भी अधिकारियों की एक समिति बनायी कि इस दिशा में कुछ आगे प्रगति हो। भारतीय औद्योगिक घरानों ने सरकार पर दबाव बनाया कि संसद आरक्षण देने के लिए निजी क्षेत्र में कानून न बनाए बल्कि वह स्वतः इनके विकास के लिए आगे आएंगें। इन्होंने वायदा किया कि ये दलित उद्योगपति बनाएंगें। दलितों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग देंगें और इसके अतिरिक्त तमाम और उत्थान की योजनाएं सरकार के समक्ष रखा लेकिन ये कुछ खास नहीं कर सके और न ही करने वाले हैं। जब विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्राजील, मलेशिया आदि वहां के वंचितों को आरक्षण जैसे लाभ देकर मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं तो भारतीय उद्योगपतियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने से क्यों गुरेज है ?हजारों वर्षों से दलितों एवं आदिवासियों का शोषण हुआ है, उसके हिसाब से इन्हें धन-धरती में बंटवारे की मांग करनी चाहिए, लेकिन क्या नौकरी भी नहीं दी जा सकती ?हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि संवैधानिक संशोधन करके निजी क्षेत्र में आरक्षण दे।

दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है, जहां एक जाति या वर्ग का पारंपरिक पेशा हो कि वह शेष की गंदगी ढोए, उठाए एवं साफ करे। हमारे यहां 6000 से ज्यादा जातियां हैं, जिनकी गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी एक विशेष जाति की है, जो देश में कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे – बाल्मीकि, स्वच्छकार, सफाईकर्मी आदि। यह केवल अमानवीय ही नहीं है, बल्कि इससे देश के विकास एवं स्वास्थ्य के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। इसी सामाजिक व्यवस्था की वजह से देश में जगह-जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है और स्वस्थ वातावरण भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में विदेशी निवेश पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वहां के लोग साफ-सफाई में रहने के आदी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री, जयराम रमेश, ने निर्मल यात्रा निकालकर संदेश देने की कोशिश की कि हमारे समाज में स्वच्छता एवं शौचालय की जरूरत मंदिर से कहीं कम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास यह विभाग रहा नहीं। यह कितना अमानवीय है कि आज भी लगभग 13 लाख लोग सिर पर मैला ढोते हैं। इस समुदाय को सबसे ज्यादा हानि निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा से हुई है। हालांकि सरकार ने 'द प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्लायमेंट ऐज मैन्युअल स्कवेंजर्स एंड दिअर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013' बनाया तो है, लेकिन सिर पर मैला ढोने की प्रथा चालू ही है। निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगे। एजवीदार प्रथा का खात्मा हो और इन्हें कैसलेस मेडिकल कार्ड की सुविधा मुहैया हो। रिलायंस जैसे बड़े औद्योगिक घराने भी इस क्षेत्र में आ गए हैं, जिससे सफाईकर्मियों का वेतन और कम हुआ है और पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्ययन के अनुसार, सन् 2004 से 2012 तक यदि वेतन में सबसे कम किसी की बढ़ोत्तरी हुई है तो सफाईकर्मियों की।

सरकार की योजनाएं जैसे – स्पेशल कंपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान हैं, उनके तहत दलितों एवं आदिवासियों की आबादी के अनुपात में बजट से धन आबंटित करके इन्हीं के विकास के लिए खर्च किया जाए। जब से ये योजनाएं लागू हैं, अगर हिसाब लगाया जाए कि कितने हजार करोड़ इन योजनाओं के तहत आवंटित ही नहीं हुए हैं और जो बजट के तहत आवंटित होता भी है, कई बार दूसरे कार्यों में खर्च कर दिया जाता है या वापिस भी कर दिया जाता है। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा था तो दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ से ज्यादा की राशि इन योजनाओं से खेल में लगा दिया था। इस तरह से केन्द्र सरकार सहित लगभग सभी राज्यों में इसी तरह से हो रहा है। हम मांग करते हैं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान के तहत इनकी आबादी के अनुपात में बजट का पैसा अलग रखा जाए और इन्हीं के विकास में लगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति योजना, जन जाति उपयोजना कानून बनाया है। भारत सरकार भी इसी तर्ज पर बनाए और उन खामियों को भी दूर करे जो आंध्र प्रदेश के कानून में हैं।

वर्तमान में जजों की नियुक्ति की जो प्रणाली है, वह गलत है अर्थात् सुप्रीम कोर्ट की कोलोजियम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने स्वतः अधिकृत कर लिया जबकि संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। या तो पहले की नियुक्ति की व्यवस्था पुनः लागू की जाए जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता था या नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बनाकर उसके तहत जजों की नियुक्ति हो। जब से कोलोजियम की व्यवस्था हुई है, तब से परिवारवाद, जातिवाद एवं पक्षपात की गुंजाइश बढ़ गयी है और यही कारण है कि उच्च न्यायपालिका आरक्षण के खिलाफ लगातार फैसला दे रही है। किसी भी वकील की नियुक्ति जज के पद पर हो रही है और अभी तक कोई योग्यता या दक्षता की परीक्षा का पैमाना तय नहीं किया गया है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लागू करने का प्रावधान संविधान में है, इसे अविलंब लागू किया जाए और तभी जाकर योग्य न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका में पहुंच सकेंगें। दलितों एवं पिछड़ों को तभी उचित न्याय मिल पाएगा जब उच्च न्यायपालिका में भी इनका आरक्षण सुनिश्चित हो।

जाति प्रमाण-पत्र बनवाना एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी है, जिससे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं नौकरी प्राप्त करने में मुश्किलें हो रही हैं। फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं नौकरी भी ली जा रही है और पता लगने पर अधिकारी एवं न्यायालय त्वरित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिससे तमाम लोग बिना सजा पाए सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में विस्थापित हुए हैं, उन्हें या तो पैतृक स्थान से जाति प्रमाण-पत्र जारी हो और उसे मान्यता मिले या जिस राज्य में रह रहे हैं, वहां पर जाति प्रमाण-पत्र जारी होने में अड़चने खत्म हों। फर्जी कृत्य को रोकने के लिए तमाम कानून हैं, लेकिन वे इस मामले में बेअसर है, अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए विशेष कानून बनाए और जैसे ही फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के बारे में पता लगे, फौरन कार्यवाही हो। सेना में भी इन्हें आरक्षण दिया जाए। अनुसूचित जाति आयोग एवं जन जाति आयोग के वित्तीय, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार सीमित हैं, अतः उन्हें बढ़ाए जाएं। अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम उत्पीड़न रोकने के लिए बना तो है, लेकिन उसमें तमाम कमियों की वजह से दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है, अतः सरकार इसकी कमियों को दूर करते हुए मजबूत बनाए।

हाल के वर्षों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है और छात्रवृत्ति की राशि इतनी नहीं है कि कम से कम जरूरतों को छात्र पूरा कर सकें, अतः इसे महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाए। शिक्षा के कई प्रकार हो चुके हैं, न केवल अनुसूचित जाति और जन जाति के हित में है बल्कि पूरे देश के लिए यह जरूरी है कि समान शिक्षा की जाए। पर्याप्त भूमि अभी भी देश में है, लेकिन अदालती झंझटों एवं भूमि सुधार कानून न लागू होने की वजह से भूमिहीनों को भूमि नहीं आबंटित हो पा रही है। सभी भूमिहीनों को भूमि दी जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने से रोका जाए।

आज पूरे देश से आए परिसंघ के वरिष्ठ नेताओं जैसे- भवनाथ पासवान, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह (उ0प्र0), इंदिरा आठवले, एस.यू. गडपायले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस. पी. जरावता, फूल सिंह गौतम, कान्ता अहलाडिया (हरियाणा), जसबीर सिंह पाल, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, ललित कुमार, आर.सी.मथुरिया, ब्रह्म प्रकाश, ए. आर. कोली, पी.आर. मीणा (दिल्ली), इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), आर.वी. सिंह, हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. वेहरा, डॉ. के. सी. मल्लिक, शंखानंद, नारायन चरन दास (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, आर.बी. सिंह (म.प्र.), आर.एस. मौर्या, दीपक पटेल (गुजरात), बी. सगादेवन, एम.पी. कुमार, जी. रंगनाथन (तमिलनाडु), के.रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी.शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे.बी. राजू, वाई.एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी.वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरुषोत्तम दास, गोपाल प्रसाद (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि. प्र.) आदि के साथ इस मांग-पत्र को आपके विचारार्थ सौंपा जा रहा है।

सादर,

आपका,

(उदित राज)

Memorandum Submitted to Hon'ble Prime Minister & UPA chairperson Smt. Sonia Gandhi after the Rally

Memorandum

December 16, 2013

Dr. Manmohan Singh
Hon'ble Prime Minister
Govt. of India,
New Delhi.

Sir,

A large number of SC/ST employees and sympathizers from all over the country under the banner of All India Confederation of SC/ST Organizations held a rally at Jantar Mantar, New Delhi for their legitimate rights and inclusive growth and development of the country.

Reservation in Government services, higher education in limited institutions and politics is the only means for the development of SC/ST people as all other important areas like business, trade, industry, land, art, culture, import, export and media are not represented by these communities at all. Legislatures, be it Parliament or Assemblies, are considerate to make laws to give representation in Government jobs but higher judiciary is hell bent to dilute it. 85th Constitutional amendment was made to restore seniority and consequential benefits but that was challenged firstly in Karnataka High Court and then the matter was heard and decided by a bench of five Judges of the Supreme Court which upheld the amendment with certain riders. 85th Constitutional amendment gave blanket right of reservation in promotion but the Supreme Court erred in imposing riders like inadequacy of representation, backwardness and efficiency. The very moment SC/ST people are put under Articles 341 and 342 on the basis of backwardness, there is no further need to verify it. If this condition is followed, then every time, different government departments will question their backwardness. Is it not adequate that if the Indian Constitution recognizes them as backward, the matter should end there? Who does not know that SC/ST people are not backward? This five judges bench has over ruled the Indira Sahney judgment which was of nine judges bench. In this judgment it was held that there is no need to justify the backwardness each time on appointment or promotion. Coming to the second condition ,i.e., efficiency, there is also no need to verify it because no empirical studies and observations in the country have proved that due to reservation, efficiency in administration has been adversely affected. In Tamil Nadu, reservation is upto 69% but there, not only law and order is better as compared to North Indian States but also in other areas like education, IT and health etc, it is better than in other States. The third condition is of inadequacy of representation which is again absurd. Currently, there are 149 Secretaries in the Govt. of India but there is no representation of scheduled castes. So far as achieving assigned quota is concerned, it is never filled despite the fact that reservation is in existence for a long time. Against the quota of 15%, so far target achieved is 11% and in case of ST it is 4.65% against 7.5%. The Supreme Court has arrived at such conclusions on the basis of isolated examples of some departments and it is a fact that most of the departments have not achieved required quota of SC/ST people. Constitutional amendments like 77th, 81st, 82nd and 85th are in support of reservation in promotions and consequential benefits where SC/ST employees are promoted faster. In the last winter session of Parliament, the bill to provide reservation in promotion was passed in Rajya Sabha but it is pending till date in Lok Sabha. The UPA Govt. introduced a Bill in Rajya Sabha in 2004 to make Reservation Act but so far it has not been passed in the Parliament. We urge that the Government should pass these Bills in the current session.

When in August and September, 2011, different Bills were being considered to make Lokpal in the Parliament, demands of our version of bill- Bahujan Lokpal Bill were discussed and one among them was plural character of Lokpal Committee ensuring the representation of SC/ST/OBC and at no cost we will tolerate any dilution in it. Janlok Pal Bill does not include civil society institutions which are equally responsible for corruption . The Corporate Houses, media and NGO should also be brought under the ambit of Lokpal. Unfortunately, it is not included in Jan Lokpal Bill and we urge to include them.

Reservation in Government jobs has come to a halt almost and increased work-load is being out-sourced which clearly dilutes reservation. More jobs are being created in private sector but SC/ST people are being kept outside. Gandhiji wished that property should be owned by the community i.e. it should be under trusteeship. Dr. Ambedkar also advocated nationalization of property but in current times, there is a mad race to acquire more wealth by any means. Indian Corporate Houses have grown at Government expense. In the West and U.S.A. private sector has done research and development and has contributed to industrial growth. Businessmen over there earned profits and wealth in lieu of certain tangible benefits to the customers. Though there is no strict legislation in U.S.A., yet the corporate houses or business establishments have uplifted Blacks, Hispanics and Aborigines through affirmative action. They proudly declare the representation of these communities in jobs and business partnership whenever they declare their profit and loss accounts. Do we have such a heart in Indian business community? In 2004, the Government of India constituted a Committee of Ministers which finally decided that for giving reservation in private sector, Constitutional amendment is needed. Yet another initiative was taken in the PMO in 2006 by constituting a Coordination Committee to negotiate with business organizations like CII, FICCI, ASSOCHAM etc. The Ministry of Commerce and Industry also formed a Committee of a group of officers in 2008 to facilitate the cause. Business organizations pressurized the Government that no legislation should be enacted to provide quota in private sector and they themselves will come forward to uplift the SC/ST people through affirmative action. They promised to create dalit entrepreneurs, impart training and prepare professionals but all these promises have proved to be an eye wash. When the developed countries like U.S.A. and Brazil can have inclusive approach, then what is the difficulty before the Indian corporate houses to give reservation in private sector? Looking at the historical background of these communities and their over-all socio-economic condition in the country, there should be demand of a division of wealth and national resources. Instead we are asking for small compensation in terms of jobs in lieu of historical wrongs and exploitation. Thus we urge the Government to make legislation to provide reservation in private sector.

There is no other society in the world except in India where the job of cleaning of dirt, litter and mainataining hygienic conditions is done by people of one caste on the basis of birth. What is the justification that people of more than 6000 castes should litter all around and people of just one caste should be permanently made to clean. This is not only inhuman but great loss to the nation in terms of health and environment. It is an undeniable fact that India is quite an unhygienic and dirty country where foreigners refrain from making investments. Currently business establishments are set up in places where there are facilities and hygienic conditions. Rural Development Minister, Shri Jairam Ramesh drove 'Nirmal Yatra' and told that toilet is as important as a temple but unfortunately that department was taken away from him. How inhuman it is that still about 1.3 million people are engaged in the work of night-soil carrying. What has affected most the scavenging community is privatization and contract system for cleaning and house keeping activities. However, the govt. has made it illegal by passing a bill - The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, but it is still to go down on the ground. This should be banned immediately. Besides contractual labour another policy of substitute (avejidar) has made them neither to survive nor die. The 6th Pay Commission has almost banned the recruitment in class-iv which has hit these communities the most and govt. must reconsider such anti-poor policy. Business Tycoons like Reliance have also entered this business and scavengers are paid the least as their wages. Thus, unparalleled exploitation is going on. The data of Reserve Bank of India reveal that between 2004-2012, the lowest percentage of increase in wages was that of sweepers.

The present system of appointing the Judges through a Collegium is wrong and unconstitutional and hence the old system of appointing the judges should be restored as laid down in the Constitution or a National Judicial Commission should be constituted to appoint judges. In the current system of appointment of judges, there is a lot of nepotism, favouritism and casteism and that is one of the reasons that the higher judiciary is continuously delivering anti-reservation and poor quality judgments. Any Advocate can be appointed as a Judge and there is no examination and merit test and it has not only corrupted higher judiciary but has also created incompetent judges. The provision of All India Judicial Service is there but that has not been implemented and hence it should be introduced immediately with a view to appoint meritorious judges.

The Government schemes like Special Component Plan and Sub Tribal Plan envisage to allocate budget according to the respective population to be spent on their development only. If we calculate the amount of allocation of budget, ever since these schemes were promulgated, it will be seen that lakhs of crores of the budget amount have been diverted to other schemes or not allocated. During the Commonwealth Games, Delhi Government diverted more than Rs. 700 crore of Special Component Plan money for the Commonwealth games. It is happening in all States including the Central Governmment. We, therefore, demand that the budget allocation under these schemes should be in proportion to their population and should be kept strictly for their development only and any violation thereof should be made a punishable offence through a law. Currently, there is no law to check under-utilization, mis-utilization, diversion and refund of the money under these schemes. At par with Andhra Pradesh Govt, the central Govt is being urged to legislate SCP for Scheduled Castes and TSP for Scheduled Tribes while removing the deficiencies of AP Govt legislation.

The problem of caste certificates is very grave and those people who have migrated from other states are not getting certificate and thus are being deprived of the benefits of Government jobs. Either the caste certificates issued by one State should be considered valid in other States or the process for the issue of caste certificates should be simplified. On the basis of false certificates, Government jobs and admission to educational institutions are being grabbed and even after the disclosures, the authorities are doing nothing and such matters are pending in the courts for such a long time that by the time offenders are found guilty, they get retired. Though laws are there to check forgery but we should make a specific law to book offenders of such frauds. The representation of these communities is minimum in the army and thus reservation should be extended there also. The Scheduled Caste Commission and Scheduled Tribe Commission are having inadequate financial, administrative and judicial powers and without enhancing it, these bodies will not be in place to deliver justice. Though there is a law to stop atrocities on SC/ST which is known as Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989, yet discriminations continue and most of cases fail in judicial trial and thus there is a need to strengthen it again.

Sir, I alongwith office bearers from all over the country, Bhawan Nath Paswan, Dr. Anil Kumar, S.P Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, S.U. Gadpyle, Prakash Patil (M.S.), Maha Singh Bhurania, S.P. Jaravta, Phool Singh Gautam, Kanta Ahladia (Haryana), Jasbir Singh Pal, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.-9871237186), Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Lalit Kumar, R. C. Mathuria, Brahm Prakash, A. R. Koli, P. R. Meena (Delhi), Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), R.V. Singh, Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), D.K. Behera, Dr. K. C. Mallick, Shankhanand, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, R.B. Singh (M.P.), R.S. Maurya, Deepak Patel (Gujarat), B. Sagadevan, M. P. Kumar, G. Rangnathan (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, J. B. Raju, S. Ramkrishna, Y.M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das, Gopal Prasad (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.). etc., present this memorandum for your kind consideration.

With regards,

Yours faithfully,

(Udit Raj)

कैमरे की नजर से महारैली की झलकियां

महा रैली के दौरान माननीय डॉ. उदित राज जी को सुनते हुए अपार भीड़

जनता को संबोधित करते माननीय डॉ. उदित राज एवं साथ में है विनोद कुमार

मंच पर बांये से जितेंद्र कुमार, कमल कृष्ण मंडल, विनोद कुमार, नितिन गडकरी, ब्रहम प्रकाश, भवननाथ पासवान, लाहिड़ी गुरूजी, विश्राम मीणा, डॉ. उदित राज, उद्योगपति अमित रस्तोगी, जी. वेंकट स्वामी, सपन हलदर, धरण घूट्टीकर, केदारनाथ, बिशन स्वरूप एवं अन्य नेतागण।

महा रैली को संबोधित करते हुए लाहिड़ी गुरूजी

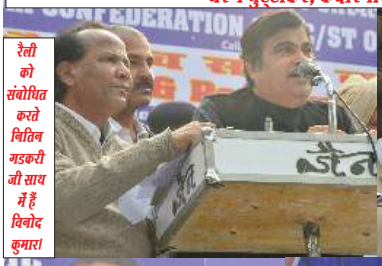

रैली को संबोधित करते नितिन गडकरी जी साथ में हैं विनोद कुमार।

मंच पर बांये से डॉ. राजकुमार बेरवा, कौशल किशोर, कांग्रेस नेता के. राजू, पीछे से विक्रम सिंह, आर.एस. मौर्या एवं अन्य नेतागण।

मंच पर बांये से : संबोधित करते परमेंद्र, कालीचरण सोनकर, एस.पी. सिंह, परमहंस प्रसाद, महेश्वर राज, ब्रहम प्रकाश, श्रीमती सीमा राज, माननीय उदित राज, अंजूरी देवी, कौशल किशोर, मो. कामिल एवं अन्य

बांये से मंच पर आसीन इंदिरा आठवले, डॉ. उदित राज, जे. बी. राजू, किशन दिलोड, वेंकटस्वामी, श्री निवासुलू एवं अन्य

रैली को संबोधित करते डी. हर्षवर्धन

रैली को संबोधित करते प्रकाश पाटिल जी

डॉ. उदित राज जी के साथ महेश्वर राज एवं ए.पी. की टीम व महाराष्ट्र परिसंघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ भोजने

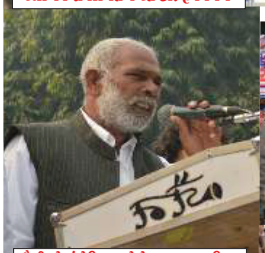

रैली को संबोधित करते चेतन दास चावड़िया

रैली में उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष डी. के. बेहरा अपने साथियों के साथ

रैली को संबोधित करते संजय महलोत

डॉ. उदित राज जी को जम्मू परिसंघ के अध्यक्ष आर. के. कलसोत्रा अपने टीम के साथ सहयोग राशि देते हुए

यह लेख 26 दिसंबर को अमर उजाला के दिल्ली संस्करण में 'आधे-अधूरे लोकपाल से मिलेगा क्या?' शीर्षक से छपा था।

लोकपाल, जोकपाल, धोखापाल

डॉ. उदित राज

अन्ना हजारे ने सितंबर, 2011 में 12 दिन का उपवास राम लीला मैदान, दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ किया। मीडिया ने शायद ही इतना समर्थन किसी को दिया हो। बिना रुकावट और विज्ञापन के 12-13 दिनों तक ज्यादातर टीवी चैनल उसी को दिखाते रहे। देश की आम जनता के दिमाग में अधिकारियों एवं नेताओं के खिलाफ नफरत पैदा हो गयी और उन्हें लगने लगा कि तमाम दुखों का कारण इन्हीं का भ्रष्टाचार है। यह भी सत्य है कि अधिकारी और नेता भ्रष्ट हैं लेकिन जिस स्तर पर प्रचारित किया गया, वह भी पूरी तरह सही नहीं है। इस प्रचार के कारण भ्रष्टाचार के असली स्रोत से लोगों की नजरें हट गयीं। वर्तमान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कारपोरेट जगत कर रहा है। यह इतना बड़ा और ताक़तवर हो गया है कि ईमानदार अधिकारी और नेता भी इसके सामने पानी भरते हैं। इससे न्यायपालिका, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं मीडिया आदि का भ्रष्टाचार भी छुप गया।

निश्चित तौर से राजनीति में भ्रष्टाचार है और अब तो इसका व्यवसायीकरण भी हो गया है। कुछ राजनैतिक लोग इसे पूंजीनिवेश के रूप में समझते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। कुछ लोग ताक़त एवं प्रतिष्ठा के लिए धन का दुरूपयोग करके जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। ऐसे लोगों के पास पूंजी का गैरराजनैतिक स्रोत होता है। राजनीति का भ्रष्टाचार इसलिए ज्यादा दिखता है कि जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं, इसलिए उनसे अपेक्षाएं ज्यादा पैदा हो जाती हैं। श्रम की महत्ता हमारे समाज में कभी रही नहीं। उत्पादन में लगे लोगों को नीच-अछूत और भीख मांगने को सम्मान का दर्जा मिला। यह भी एक कारण है कि लोग स्वयं के प्रयास और परिश्रम के ऊपर यकीन कम और सरकार से सहायता की उम्मीद ज्यादा करते हैं। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो अविश्वास एवं शिकायत को स्थान मिल जाता है। यही कारण है कि राजनीति का भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दिखता और चुभता है। कौन जनता को समझाए कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में शून्य से व्यापार शुरू करता है, देश का सबसे अधिक अमीर हो जाता है और उसका नाम दुनिया के धनाढ्यों में भी शामिल हो जाता है, क्या यह धन कठिन परिश्रम, तेज दिमाग और अवसर का ही प्रतिफल है कि इसके पीछे का बड़ा अपराध और भ्रष्टाचार। देश में लाखों लोग जी तोड़कर मेहनत करने वाले, ईमानदारों की कमी नहीं और दिमाग भी किसी से कम नहीं, वे क्यों नहीं धनाढ्यों की श्रेणी में खड़े हो जाते ?जन लोकपाल या सरकार के द्वारा बनाया हुआ लोकपाल क्या इस भ्रष्टाचार को देख पा रहा है ?क्या बिना इस भ्रष्टाचार से लड़े उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है ?

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्या न्याय पाना सस्ता है? अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण कह चुके हैं कि 16 मुख्य न्यायाधीशों में से 8 भ्रष्ट हैं। अधिकतर न्यायाधीशों की अगर सम्पत्ति की जांच हो जाए तो ये नेताओं और अधिकारियों से पीछे नहीं मिलेगें। चूंकि ये आम जनता से चुनकर नहीं जाते इसलिए इतनी इनसे अपेक्षा नहीं होती। कुछ लोगों के ही मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसलिए आम जनता तक इनके चरित्र का प्रचार नहीं हो पाता। अवमानना के नाम पर न तो मीडिया और न ही पब्लिक इनके कृत्यों पर बोल और लिख सकते हैं। कौन नहीं जानता कि ज्यादातर एनजीओ खाने-पीने और प्रतिष्ठा के माध्यम बन गए हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब श्री अरविंद केजरीवाल बोलना चाहे तो वहां के जागरूक छात्रों ने उससे पहले ही पूछा कि क्या उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से भारी राशि लेकर सरकार के खिलाफ अभियान नहीं चलाया ?जवाब नहीं दे सके और बिना बोले लौटना पड़ा। मीडिया में भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो सैकड़ों करोड़ के आसामी हैं तो वे क्या यहां तक परिश्रम और वेतन के ही वजह पर पहुंचे हैं ?ज्यादातर जनता इन संस्थाओं के भ्रष्टाचार से अनभिज्ञ है। अन्ना हजारे से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने बड़ी ही निपुणता से अधिकारियों एवं नेताओं के भ्रष्टाचार के प्रति जनता का रोष मोड़ दिया। इन्होंने क्यों नहीं कारपोरेट जगत, मीडिया, एनजीओ और एफडीआई के खिलाफ बराबर का आंदोलन चलाया ?

जब 2011 में अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे तो मैंने अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से एक

समानांतर रैली निकाली और इनसे सवाल किया कि क्यों नहीं जन लोकपाल बिल में उद्योग जगत्, मीडिया एवं एनजीओ के भ्रष्टाचार को शामिल कर रहे हैं ?उस पर चुप्पी लगा गए। हमने अपनी ओर से बहुजन लोकपाल बिल पेश किया, जिसमें इनको शामिल किया। जब लोकपाल बिल पास हो रहा था तो संसद में सीपीएम के सांसद सीताराम येचुरी ने क्लाज-14 के तहत वोट करवाया कि एनजीओ, कारपोरेट हाउसेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है ?प्रस्ताव पर 19 मत पड़े। देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया है कि मांग और पूर्ति दोनो साथ-साथ चलते हैं। मांग तभी होती है जब उसकी पूर्ति उपलब्ध हो। भ्रष्टाचार का धन या जिस किसी शक्ल में हो, जो इसको पूरा कर रहा है, अगर वहां नहीं रोक है तो मांग बराबर बनी रहेगी।

इनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाए जाने में सबसे ज्यादा सहयोग कारपोरेट जगत, मीडिया एवं एनजीओ का ही रहा है। कारपोरेट जगत ने इसलिए किया कि उनके पास धन तो होता है और उसके बल पर बेशुमार ऐशोआराम और सुविधाएं भी मिल जाती थी, लेकिन रुतबा, लालबत्ती और ताक़त नहीं मिल पाती। कुछ धनाढ्य इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं राजनीति में आ गए और कुछ ने तो अपने आदमी पैदा कर दिए। इसमें समाज और देश की सेवा की बात कम है, बल्कि ईर्ष्या ज्यादा है। एनजीओ में ज्यादातर लोग वहीं है, जो बहुत जागरूक हैं। इन्हें भी रुतबा और ताक़त की कहीं न कहीं ललक होती है। मीडिया के मालिकों से लेकर पत्रकारों तक को लगता है कि अर्द्धशिक्षित और देहाती नेताओं के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये कम अंग्रेजी जानने वाले और शिक्षा के मामले में भी पीछे, कैसे इनके हाथ में सत्ता है ?इन तीनों ने इस आंदोलन को सहयोग इसलिए ही नहीं दिया कि इनमें देशहित की ही भावना ज्यादा है, बल्कि कहीं न कहीं ईर्ष्या एवं स्वार्थ है। उद्योग जगत् के लिए सबसे आराम की बात यह है कि इससे नेता और अधिकारी कमाजोर हुए हैं और अब वे अपना कार्य झुककर नहीं बल्कि अकड़कर करा सकते हैं। जो विकसित देश भारत की आर्थिक तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने एनजीओ आदि के माध्यम से समर्थन दिया। हमारे देश में ज्यादातर उद्योग सरकार के माध्यम से ही पनपे हैं और इसलिए इनका सरोकार सरकारी तंत्र से जबर्दस्त है और उसे कमजोर करने में इनको सीधा लाभ पहुंचता है।

जन लोकपाल की पूरी बातें जो लोकपाल बना है, शामिल नहीं हो पायी हैं, इसे श्री अरविंद केजरीवाल ने जोकपाल कहा। जब हमने उनसे कहा कि एनजीओ, मीडिया और कारपोरेट जगत् के भ्रष्टाचार को जन लोकपाल में क्यों नहीं शामिल किए ?तो उस समय भी चुप थे और अब भी, तो इन्हें कहां से नैतिक अधिकार है, यह कहने का कि यह जोकपाल है। जन लोकपाल और संसद के द्वारा बनाया गया लोकपाल, लोकपाल के साथ-साथ धोखापाल भी साबित होगा। इस देश में बिना सामाजिक न्याय की बात किए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जन लोकपाल बिल में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी ही नहीं और यदि हम बहुजन लोकपाल बिल बनाकर मांग न किए होते तो होने वाली भी नहीं थी। देश के लोग देखते जाएं कि जन लोकपाल से लोकपाल और इससे धोखापाल तक पहुंचने में कितना समय लगता है ?

CREDIT FOR RESERVATION IN LOKPAL BILL GOES TO DR. UDIT RAJ

Had the All India Confederation of SC/ST Organizations under the leadership of Dr. Udit Raj not taken up the issue of reservation in Lokpal Bill in 2011 when Anna Hazare was fasting, there would have been no chance to have reservation for SC/ST/OBC, minorities and women. No Lokpal Bill other than the Bahujan Lokpal Bill presented by the Confederation had raised the demand for reservation and to bring about corruption of corporate houses, NGOs and Media under the ambit of Lokpal. At that time Media was crying from the roof top that the entire nation was with Anna Hazare and even SC/ST/OBC leaders did not think of saying something on the issue except Dr. Udit Raj. We salute him for his bold and courageous stand.

Contact :
Vinod Kumar -9871237186,
Dr. Nahar Singh -
9312255381.

The Lokpal and Lokayuktas

CHAPTERII

ESTABLISHMENT OF LOKPAL

3. (*1*)**On and fromthe commencement of thisAct, there shall be established, for the purpose of thisAct, a body to be called the "Lokpal".**

(*2*) **The Lokpal shall consist of—**

(*a*) **a Chairperson, who is or has been a Chief Justice of India or is or has been a Judge of the SupremeCourt or an eminent personwho fulfils the eligibility specified in clause (*b*) of sub-section (*3*); and**

(*b*) **such number ofMembers, not exceeding eight out of whomfifty per cent. shall be JudicialMembers:**

Provided that not less than fifty per cent. of the Members of the Lokpal shall be from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes,Minorities and women.

(*3*) A person sh
(*a*) as
Judge of the Supreme C
Justice of a Hig

(*b*) as
Member, if he is a perso
outstanding ab
expertise of not less tha
the matters rela

Dr. Udit Raj while presenting Bahujan Lokpal Bill to the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on 30th Sep. 2011

लोकपाल बिल में आरक्षण के मामले में डॉ0 उदित राज की अहम भूमिका है

जिस समय अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर 2011 में अनशन पर बैठे हुए थे, यदि आरक्षण का मुद्दा अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में न उठाया गया होता तो अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई संभावना न होती। परिसंघ द्वारा पेश किए गए बहुजन लोकपाल बिल के अतिरिक्त और किसी भी बिल में न तो आरक्षण का जिक्र था और न ही उद्योग जगत, मीडिया एवं एनजीओ के भ्रष्टाचार को इसमें शामिल करने की मांग की गयी थी। उस समय मीडिया बड़े जोर-शोर से चिल्ला रहा था कि सारा देश अन्ना हजारे के साथ है और यहां तक कि डॉ0 उदित राज के अलावा अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता ने इस मुद्दे पर जुबान नहीं खोली। डॉ0 उदित राज के इस साहसिक कार्य के लिए कोटि-कोटि नमन।

सम्पर्क :
विनोद कुमार .9871237186,
डॉ0 नाहर सिंह .9312255381

यह लेख 15 दिसंबर को उर्दू सहारा के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुआ था।

p|uko dh leh{kk

डॉ. उदित राज

राजस्थान, म0प्र0, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में अभी ही चुनाव सम्पन्न हुए हैं। इस नतीजे से मुख्य रूप से तीन बातें उभरकर आयीं हैं। नरेन्द्र मोदी का प्रभाव बढ़ा है। पारंपरिक पार्टियों जैसे - कांग्रेस एवं भाजपा के विरुद्ध आप पार्टी के द्वारा जनता का आक्रोश एवं दलित राजनीति में ह्रास। चुनाव प्रचार अभियान के समय लोग सोच रहे थे कि भाजपा चार-शून्य के अनुपात में जीतेगी, परन्तु दिल्ली के चुनाव ने इस पर विराम लगा दिया। मीडिया द्वारा सर्वेक्षण भी फेल हुए। यूपीए के दूसरे चरण के शासनकाल में देश के लोग बहुत ही निराश थे, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रहा। सोशल मीडिया की मारक क्षमता मध्यम वर्ग में बढ़ी है।

भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके प्रचार अभियान सबसे पहले तेज किया। कांग्रेस भी पीछे रही नहीं और उसने राहुल गांधी को मुकाबले के प्रचारक के रूप में पेश कर दिया। जब गुजरात में चुनाव हो रहा था तो कारपोरेट घराने और राष्ट्रीय मीडिया न केवल राज्य में चुनाव प्रचार में सहयोग किया बल्कि देश का नेता बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व न चाहते हुए भी मोदी के उभार को रोक न सका। देश में ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस के तुष्टिकरण की नीति का ही नहीं बल्कि सरकार की कई मोर्चों पर विफलता का जवाब सिर्फ मोदी हैं। अब भी यह मनःस्थिति बनी हुई है। आर.एस.एस. की भूमिका भाजपा की नीतियों एवं नेतृत्व पर ज्यादा प्रभावी हुई, उसी के हस्तक्षेप से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बन सके। जो मीडिया मैनेजमेंट मोदी के प्रचार में दिखा वह राज्य स्तर पर नहीं रह सका। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट कमजोर रहा। गोवा की सरकार की सक्रियता की वजह से तरुण तेजपाल का प्रकरण आप पर हुए स्टिंग ऑपरेशन को कमजोर कर दिया। लगता है कि भाजपा का नेतृत्व बदले की भावना में ज्यादा और दिल्ली में चुनाव परिणाम की चिंता कम थी।

कांग्रेस को एहसास तो था कि उसको चुनाव में मात मिलेगी लेकिन इस स्तर तक नहीं समझा गया था। कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा विशेषरूप से यूपीए सरकार की पूंजीवादी, उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण की नीतियों की वजह से था। दर्जनों बार पेट्रोल के दाम बढ़े। मुकेश अंबानी के खिलाफ उनके भाई ने आरोप लगाया कि 40 हजार करोड़ से ज्यादा का नाजायज लाभ कावेरी गैस से उन्हें पहुंचाया गया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी-2 स्पेक्ट्रम घोटाले में ए.राजा को तो टांग दिया गया लेकिन प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री का बचाव किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में जितना पैसा खर्च दिखाया गया, उतना खेल संबंधित सुविधाओं के निर्माण या खरीद पर दिखा नहीं। बड़े घोटाले अंदर ही रह गए, जिनको 744 करोड़ स्पेशल कंपोनेंट प्लान की राशि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खर्च कर दी गयी, इससे दलितों की नाराजगी बढ़ी। जिस चीनी का मूल्य 2008 में 18-19 रुपये हुआ करता था वह 2009-2010 में 40 रुपये से ऊपर पहुंच गया। इसी तरह से तमाम वस्तुओं के दाम बढ़े लोगों को लगा कि सरकार को गरीबों की चिंता जैसे है ही नहीं। 50 हजार करोड़ की सब्सिडी यदि किसानों को दी जाती है तो उस पर विरोध होता है, जबकि वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 5 लाख करोड़ से ज्यादा की छूट कारपोरेट घरानों को दी गयी।

कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता निराश थे। एक दशक से जो राजनीतिक परंपरा कांग्रेस में सलाहकारों ने पैदा की उससे कांग्रेस के ही जमीनी कार्यकर्त्ता कट गए। एक संदेश गया कि क्षेत्र में काम करने की जरूरत नहीं है, उनके माध्यम से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की परिक्रमा से कल्याण होना पक्का है। कुछ सलाहकार स्वार्थ में नेतृत्व के सामने वफादार और ईमानदार बने रहे और उन्हीं के हिसाब से पार्टी और सरकार चलती रही। प्रधानमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं वित्त मंत्री का झुकाव विश्व बैंक, आई.एम.एफ. एवं पूंजीवादी नीतियों के प्रति लगातार बना रहा। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इतना भी वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पाए कि जो सब्जी दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पर 5 और 10 रुपये किलो मिल रही थी, वह दिल्ली में आकर 25 और 30 रुपये बिकती थी। पारंपरिक पार्टियों को लगा कि ज्यादा कालाधन लगाकर अपने पक्ष में चुनाव को प्रभावित कर लेगें, लेकिन यह फार्मूला पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा। लोग दारू पी गए, पैसा ले लिए लेकिन वोट अपनी मर्जी से ज्यादा दिए। दलित कांग्रेस से इसलिए नाराज थे कि आरक्षण कानून बनाने के लिए विधेयक 2004 से संसद में लंबित है जो पास न हो सका। पदोन्नति में आरक्षण का भी बिल लोक सभा में अटका हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इन्कम्बेंसी के बावजूद राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। नरेन्द्र मोदी का तूफानी प्रचार राहुल गांधी पर भारी पड़ा। राहुल गांधी ने मुद्दे तो ठीक उठाए परन्तु मोदी के अनुभव एवं शैली के सामने कमजोर पड़े। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सकती थी अगर उसने चुनाव प्रबंधन ठीक से किया होता। इसका मुख्य आधार सवर्ण एवं मध्यम वर्ग के मतदाताओं में है, जिसमें आप पार्टी ने सेंध लगा दी। यदि राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का मौका नहीं मिला तो निगम में तो उसकी ही सरकार लगभग 10 साल से है, फिर निगम की सरकार क्यों विफल रही?लोगों को लगा कि दोनो को दिल्ली चलाने का मौका मिला परन्तु आशाओं के अनुरुप अपना प्रदर्शन कर न सके।

अन्ना हजारे जब अप्रैल 2011 में जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे तो भ्रष्टाचार एवं महंगाई से व्यथित मध्यम वर्ग शामिल होना शुरु हो गया। आर.एस.एस., भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बाबा रामदेव एवं आर्ट ऑफ लिविंग आदि संगठनों ने धरना की सफलता अभूतपूर्व बना दी और जनता को लगा कि सारे नेता चोर हैं, देश का भला एन.जी.ओ. के आंदोलन से ही होगा। इसी समय सरकार ने गलती की और तथाकथित सिविल सोसाइटी एवं मंत्रियों की संयुक्त समिति गठित की, जो कभी न हुआ था। इससे सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़ा मध्यम वर्ग उत्साहित हुआ और उसने और अधिक ताक़त से आंदोलन को बल दिया। 4 जून, 2011 को बाबा राम देव पर पुलिस कार्यवाही से भी लोग नाराज हुए। सबसे बड़ी गलती सरकार के रणनीतिकारों ने तब की जब अन्ना हजारे को जे.पी. पार्क में अनशन करने की इजाजत से इनकार कर दिया। बहुत ही सधे एवं चतुर रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल और उनके साथी इस आंदोलन को बेध दिए और अपना प्रभाव देश और विदेश में फैला दिया। ऊपर अन्ना दिखे लेकिन नीचे-नीचे इन लोगों ने अपना सांगठनिक तंत्र खड़ा कर दिया। मीडिया के अभूतपूर्व समर्थन से आप पार्टी जन-जन तक पहुंच गयी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनो से ज्यादा मीडिया में कवरेज मिला। महंगाई और भ्रष्टाचार से व्यथित जनता ने विकल्प के रूप में आप पार्टी को चुना। इन्हें आरक्षण विरोधी होने का भी लाभ मिला। मायावती की कार्यप्रणाली से दलित भी संतुष्ट नहीं था। इसलिए वह भी वोट आप पार्टी को मिला। यह कहना गलत होगा कि आप पार्टी ने भाजपा का वोट नहीं काटा। इतनी जबर्दस्त सरकार के प्रति असंतोष था कि यदि आप न होती तो भाजपा को 50-55 सीटें तक मिल सकती थी।

लोग आप पार्टी के उभार को एक नई किस्म की राजनीति के जन्म के रूप में देख रहे हैं। पूर्व में भी इससे बड़े बदलाव आए हैं, चाहे जे.पी. आंदोलन की वजह से अथवा वी.पी. सिंह के। आप पार्टी ने बिजली का दाम आधा, अनियमित कॉलोनियों को नियमित करना, भ्रष्टाचार दूर करना, सफाई कर्मचारियों को स्थायी करना, मोहल्ला कमेटी बनाना, पानी और लाइट आदि सुविधाएं देने के वायदे किए हैं। यह भी एक कारण था कि मतदाता इनकी तरफ आकर्षित हुआ है। इस पार्टी की अभी तक कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन केवल जनसमस्याएं केन्द्र बिन्दु में हैं। कांग्रेस बिना शर्त बाहर से समर्थन देकर आप की सरकार बनवाना चाहती है। इन्हें बनाना भी चाहिए ताकि जनता को राहत मिले और यदि बीच में कांग्रेस अच्छा काम करने में अड़चन डालती है, तो उसी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप यहां जनता के साथ चतुराई कर रही है और इसी सपने को लोक सभा के चुनाव तक बनाकर रखना चाहती है। अब यह देश सामाजिक न्याय का बन गया है, वंचितों और उपेक्षितों की भागीदारी के सवाल को नजरंदाज करके बहुत आगे नहीं जाया जा सकता।

Youth for Equality organization was mainly floated to oppose reservation. In 2006, when reservation was given to OBC in higher education, this organisation came into existence to oppose not only this but reservation in all areas. Mr. Arvind Kejariwal was acting leader of this forum, as is clear from the attached handbill in JNU.

Contact : 09871237186, 09312255381

यूथ फॉर इक्विलिटी संगठन आरक्षण के विरोध में पैदा हुआ। जब 2006 में पिछड़ों को उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया गया तभी उसके विरोध में इसका जन्म हुआ था। श्री अरविंद केजरीवाल इस मंच के सक्रिय नेता थे। नीचे पर्चे में जेएनयू में उनके कार्यक्रम को देखें।

Talk by Arvind Kejriwal

YOUTH FOR EQUALITY, JNU

Invites all

For a talk by

Arvind Kejriwal

The man who brought silently the most vocal revolution of India in governance called Right To Information Act

On

INDIA ON THE VERGE OF DEMOCRATIC BREAKDOWN

Date: 2nd August 2008

Venue: Tapti Hostel Mess, JNU, New Delhi, Time: 9.30 PM

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 3 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 December, 2013

Return of the Good Old Days for Confederation

Dr. Udit Raj

Dr. Udit Raj addressing the huge gathering at Maha Rally.

It sounded good to hear from the people that the All India Confederation of SC/ST Organizations has returned to its good old days. There is a great difference between the past and the present time. At that time, people used to take part in the Confederation activities out of fear and with selfish motives because the Damocles'sword of five anti-reservation orders was hanging somewhere while some other places it was being fiercely used. At that time, it was a crowd for an issue but with vision it was converted into a missionary organization. This time the crowd at the Jantar Mantar rally was so huge that roads were blocked and even the traffic at Connaught Place was jammed. The real problem is that the speed with which the new leadership is emerging is not fast enough.

Members had come from every nook and corner of the country for exerting pressure on their demands but in the context of the present volatile political scenario, it is not easy to get things done.The biggest problem is that Dalit/Adivasi organizations and their leaders are not only steeped in selfishness but are also arrogant and self-centred. This is a great stumbling block in their unity.It is now becoming increasingly difficult to unite the community on the basis of issue-based struggle for our rights and respect. Common people believe that it is missionary when it is made emotional and slamming on brahanisim and are not bothered about actual delivery. I have been pleading with the people for the last one year that the BSP leaders and workers should arrange my meeting with Ms Mayawati so that we may know from her as to why she is not exhorting her party leaders and workers to wage a struggle for our rights and respect. In the given situation only our strength is not enough to protect the rights so either bigger forces like BSP also joins the cause or take us along with them. If BSP leaders initiate a dialogue with other Dalit intellectuals and listen to their viewpoints then we can put up a joint national level campaign for our rights and respect. The benefit of reservation in promotions was done away with when BSP was in power in UP. None of the BSP supporters who are critical of Confederation, has taken the trouble of telling us as to why Ms Mayawati has not met us. We should understand when employes and educated people came out of their houses on the call given by Kanshi Ram Ji then only the movement was built up. Because of the undemocratic working of Bahujan Samaj Party, even those employees and officers who are its supporters do not come out of their houses. If BSP becomes active then it would not take much time to pass the Reservation in Promotions Bill and the Reservation Bill which are pending in the Parliament. This could have helped in making some progress in the matter of reservation in the private sector.The present situation has become so confusing that whosoever launches an issue-based struggle, is branded as anti-missionary. Sometimes we are branded as agents of Congress or BJP or sometimes it is alleged that we are beggars at the hands of upper caste people. They claim that Dalits should become givers. There are justifying their inaction and vilifying us for our righteous work. An illusory situation has been created which implies that we should wait till we come into power and nothing should be done till then. I am constrained to say with great anguish and pain that we have not got the credit and appreciation from the community that we so genuinely deserved for getting reservation in the Lokpal Bill which was exclusively due to the efforts of the Confederation. It is really painful when I think of the lukewarm support and lackadaisical stand taken by the community on our achievement for reservation in Lokpal Bill. Even when Ms Mayawati does not do anything, it is considered par excellence. People who claim to be Ambedkarites should ponder for a while whether Dr. Ambedkar had ever said that we should do anything only after coming into power. Had he not launched a issue-based struggle? Despite the fact that reservation in Lokpal Bill is a big achievement of the Confederation, yet the BSP considers it anti-missionary. Had this reservation been not there, this would have been a Jailpal Bill for Bahujans.

This time in the rally, some industrialists from the upper caste had also been invited under the leadership of Shri Lahiri Guru. Once again, we are making an effort that Gujaratis, Marwaris, businessmen from the upper caste and people from different walks of life should share a platform with us and initiate a dialogue on our problems. If the Government is not coming forward to make a Bill for reservation in the private sector, maybe the dialogue between us and the upper caste people could throw up initiation on this issue. Some upper caste industrialists have come forward to extend employment and business opportunities to SC/ST people. Times have changed and we have to change our strategy to push forward our struggle. Some organizations and people think that writing and reading literature against Brahminism and raising slogans alone is missionary to which we do not subscribe.We shall not hesitate even to take the help of countries like America and Pakistan for the welfare of our community. If the upper caste people come forward to cooperate with us, they are welcome. The upper caste people understand it very well that the days of their rule are numbered and they will become a part of the history. It is one thing whether the upper caste people become extinct or weak, but it will be highly foolish on our part not to seek their cooperation.

Aam Admi Party has come into power in Delhi. Its leader, Arvind Kejriwal, has been in the fore-front of anti-reservation lobby. There is no mention of reservation at all in the 18-point programme on the basis of which his Government will fulfill its promises. He owes his victory to Media. If the Media extends even half the support which has been extended to Aam Admy Party, we shall be able to put up a much bigger show. If we do not change now, then our end is imminent. Elections have taken place in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhatisgarh and Delhi recently and our rights have not been a matter of discussion anywhere. Not only days but for weeks on end, Dalit issues are not discussed in the Media. It is like Hitler's Fascism which has ousted the Bahujan Samaj. Beware Bahujans! Now Computer and Mobile will perform the role of Media. So, purchase computers, install internet connections and start website, facebook, SMS, You Tube and challenge the Manuvadi Media.Ms Mayawati should at least now understand that whereas in the last Delhi Assembly elections, her party had scored more than 14% votes, this time it has scored about 5% votes. The party expanded till Kanshi Ram Ji was there. Now there is all round downfall of the party. If the BSP is not able to stop the onslaught of Aam Admi Party, then is it not the responsibility of the community to find new leadership. The main reason for the success of BSP in Uttar Pradesh is the caste equation and not able leadership. If there had been able leadership, it would have expanded outside Uttar Pradesh also.

This time we invited Congress and BJP leaders in the Rally. Former BJP president Nitin Gadkari participated and appeared committed to our caste. Shri Rahul Gandhi was also invited but his representative K. Raju incharge of AICC SC/ST cell participated and spoke in favor of our demands. We also know that the UPA government has miserably failed to deliver any substantial rights.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Kam